पीठासीन अधिकारी - रामप्रसाद सिंह

अपंजीकृत

श्री मान् न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय प्रथम श्रेणी, देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता उम्र 31 वर्ष पेषा बेरोजगारी निवासी ग्राम बरगवॉ, पो0 डगा बरगवॉ, थाना बरगवॉ जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

--- परिवादी

बनाम

(1). **अनुराधा प्रसाद मुख्य प्रबन्धक न्यूज--24 ब्रोडकॉस्ट इंडिया लिमिटेंड** पति राजीव सुक्ला व पिता ठाकुर प्रसाद बिजनेस ऑफिस बी0ए0जी0 फिल्म एवं मिडीया लिमिटेंड, एफ0सी0–23, सेक्टर 16–ए, फिल्म सिटी, नोयडा, उत्तर प्रदेश 201301

(2). **देवेन्द्र पाण्डेय** पिता अंजनी कुमार पाण्डेय कुन्दन एजेन्सी के पीछे विन्ध्यनगर जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश मो. नं. 9425303690 व 9165538865

(3). **न्यूज–24 आफिसियल व्हाट्सऐप अटेन्डर** पिता नामालुम, कर्मचारी न्यूज–24 बिजनेस ऑफिस बी0ए0जी0 फिल्म एवं मिडीया लिमिटेंड, एफ0सी0–23, सेक्टर 16–ए, फिल्म सिटी, नोयंडा, उत्तर प्रदेश 201301

(4). **पंकज र्शमा** पिता नामालुम, कर्मचारी न्यूज–24 बिजनेस ऑफिस बी0ए0जी0 फिल्म एवं मिडीया लिमिटेंड, एफ0सी0–23, सेक्टर 16–ए, फिल्म सिटी, नोयडा, उत्तर प्रदेश 201301

------------------ आरोपीगण

परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा

204, 420, 465, 500, 34 IPC

II—156
(C.J.)

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . . . .of 20 . . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

का बयान लेकर न्यायालय की गोपनीयता भंग की गई और न्यायालय का अपमान किया गया इसके अतिरिक्त देवेन्द्र पांडे के द्वारा परिवादी को मानसिक रूप से क्षति कारित की गई है और परिवादी को जरिये अधिवक्ता नोटिस दी गई है अत. प्रस्तावित आरोपीगण के विरुद्ध अपराध का सज्ञान लेते हुये दांडिक मामला पंजीबद्ध किया जाये ।

परिवादी की ओर से परिवाद के समर्थन में स्वयं नीरज गुप्ता एवं स्वयं के भाई पंकज कुमार की परीक्षा कराई गई है ।

परिवादी की ओर से वाट्सएप के जरिये की गई चेटिंग के दस्तावेज व न्यूज 24 उल्लेखित चेटिंग की प्रतियां पेश की गई है इसके अलावा परिवादी की ओर से कलेक्टर सिंगरौली, पुलिस अधीक्षक सिंगरौली, थाना प्रभारी बरगवां सिंगरौली को की गई शिकायत आवेदन की प्रतियां एवं स्वयं के कथन व प्रस्तावित आरोपी देवेन्द्र पांडे के कथन पुलिस द्वारा अभिलिखित तथा देवेन्द्र पांडे सवाददाता द्वारा परिवादी को प्रेसित नोटिस एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब सीडी की प्रति पेश की गई है ।

परिवादी की ओर से देवेन्द जी उल्लेखित चेटिंग के दस्तावेज पेश किये गये है । जिसमें सारांशत इस आशय की चेटिंग उल्लेखित है कि परिवादी के द्वारा प्रसारण के लिये कहा गया और स्वयं तथा वकील के बयान की विडियो अभी तक नही दिये है । परिवादी की चेटिंग पर देवेन्द जी उल्लेखित प्रोफाइल में चेटिंग की गई है कि, जिसमें सच्चाई नहीं है वो न्यूंज हम कभी भी प्रसारित नहीं कर सकते है और खबर में सच्चाई न होने के कारण प्रसारित नही करने पर परिवादी द्वारा गलत आरोप लगाया जाना लेख है, फ्री में न्यूज चले तो ये संभव नही है, ऐसी चेटिंग भी की गई है । परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त वाट्सएप चेटिंग के 19 पन्ने दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि देवेन्द जी उल्लेखित व्यक्ति ने खबर में सच्चाई न होने और फ्री में न्यूज चलाने से इंकार किया है लेकिन चेटिंग के जरिये की गई वार्तालाप से कहीं से ऐसा उल्लेख नहीं है कि न्यायालय के पंजीबद्ध मामला कमांक 621/16 के संबंध में प्रतिकूल व मानहानिकारक टिप्पणी की गई हो । उसने तो खबर में सच्चाई न होना बताते हुये प्रसारण से इंकार किया है । इस तरह उक्त पंजीबद्ध मामले के संबंध में प्रस्तावित आरोपी के द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी या न्यायालय के अवमान कारक तथ्य दर्शित नहीं होते हैं । प्रस्तुत चेटिंग दस्तावेज में प्रस्तावित आरोपी व परिवादी के द्वारा परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाना आवश्य दर्शित होता है लेकिन न्यायालय के आदेश की अवमानना कारक कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है । जहां तक न्यूज 24 चैनल के आफिशियल वाट्सएप नंबर को डिलीट किये जाने का प्रश्न है तो उक्त न्यूज 24 चैनल के द्वारा सआशय संपर्क बंद किया गया हो ऐसा दर्शित नहीं हो रहा है, परिवादी की ओर से प्रस्तुत इंटरनेट दस्तावेजो से

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12-01-2018	परिवादी की ओर से श्री बृजेश चतुर्वेदी अधिवक्ता । प्रकरण पंजीयन पर आदेश हेतु नियत है । परिवाद पत्र, परिवादी की साक्षी के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को अवलोकन किया गया । परिवाद पत्र का सार यह है कि परिवादी नीरज गुप्ता ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.16 को पंजीबद्ध परिवाद मामला कमांक 612/2016 धारा 420,465,120 बी, 34 भा0द0स0 के प्रकाशन बाबत न्यायालय के आदेश, व सबूत प्रस्तावित आरोपी देवेन्द्र पांडे को दिया था । प्रस्तावित आरोपी देवेन्द्र पांडे ने ही परिवादी को फोन कर मामला प्रसारित करने के लिये कहा था । अतः परिवादी ने दिनाक 26.05.16 को देवेन्द्र पांडे के वाट्सएप नंबर 9425303690 तथा 9165538865 पर कैमरे में लिये गये बयान व सबूत दे दिये । तत्पश्चात देवेन्द्र पांडे ने दिनांक 06.06.16 को परिवादी के वकील के बयान हेतु देवसर जाने के लिये कहा और फिर परिवादी के अधिवक्ता का बयान दिनांक 06.06.16 को लिया गया । देवेन्द्र पांडे ने उक्त पंजीबद्ध मामले को न्यूज 24 में 02–03 दिनों में प्रकाशन कराने के लिये कहा लेकिन जब दिनांक 16.06.16 तक मामले को प्रसारित नहीं किया गया तब परिवादी ने देवेन्द्र पांडे से पूछताछ किया तो, उसने कहा कि मामला कमांक 621/2016 में कोई सच्चाई नहीं है । फ्री मे कोई खबर प्रकाशित नहीं किया जाता है । परिवादी ने देवेन्द्र पांडे को देवसर आने जाने की 100 किलोमीटर की दूरी का खर्च 1500/– रूपये नहीं दिया गया है इसलिये मामला प्रसारित नहीं किया गया है और देवेन्द्र पांडे ने परिवादी को अंजाम भुगतने की धमकी भी दिया । इस तरह देवेन्द्र पांडे ने न्यायालय के आदेश का अपमान किया है । परिवादी ने पुनः दिनाक 14.06.16 को न्यूज 24 के आफिशियल वाट्सएप नंबर 9910043836 पर उक्त पंजीबद्ध मामले की खबर चलाने हेतु और देवेन्द्र पांडे की शिकायत किया तो प्रस्तावित आरोपी कमांक 3 न्यूज 24 के अटेन्डर द्वारा आफिशियल वाट्सएप नंबर को ही डिलीट कर दिया गया । लेकिन परिवादी ने घटना को टि्विटर के माध्यम से प्रसारित किया तो अटेन्डर ने पुनः आफिशियल वाट्सएप नंबर को जोड दिया लेकिन प्रोफाइल से फोटो व स्टेटस को डिलीट ही रहने दिया गया । इस तरह प्रस्तावित आरोपी कमाक 03 ने भी सबूत को मिटाया है । दिनाक 18.07.16 को फोन कमांक +911203911411 से न्यूज 24 आफिस से परिवादी को मामला शांत करने के लिये धमकी दी गई । लेकिन दिनांक 19.07.16 को देवेन्द्र पांडे ने परिवादी व परिवादी के वकील का बयान देने से मना कर दिया गया । इस तरह प्रस्तावित आरोपी कमांक 4 ने भी मामला कमांक 621/16 को दबाने में देवेन्द्र पांडे का साथ दिया है । प्रस्तावित आरोपी कमांक 1 अनुराधा प्रसाद न्यूज 24 मुख्य प्रबंधक के द्वारा परिवादी को टि्विटर में ब्लाक कर दिया गया है और प्रस्तावित आरोपी कमाक 2 देवेन्द्र पांडे का साथ दिया गया है । इस तरह प्रस्तावित आरोपी कमाक 2 देवेन्द्र पांडे द्वारा पैसे के लिये परिवादी व परिवादी के वकील	

B-156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . of 20 . . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

का बयान लेकर न्यायालय की गोपनीयता भंग की गई और न्यायालय का अपमान किया गया इसके अतिरिक्त देवेन्द्र पांडे के द्वारा परिवादी को मानसिक रूप से क्षति कारित की गई है और परिवादी को जरिये अधिवक्ता नोटिस दी गई है अत: प्रस्तावित आरोपीगण के विरूद्ध अपराध का सज्ञान लेते हुये दाडिक मामला पजीबद्ध किया जाये ।

परिवादी की ओर से परिवाद के समर्थन मे स्वय नीरज गुप्ता एव स्वयं के भाई पकज कुमार की परीक्षा कराई गई है ।

परिवादी की ओर से वाट्सएप के जरिये की गई चेटिंग के दस्तावेज व न्यूज 24 उल्लेखित चेटिंग की प्रतिया पेश की गई है इसके अलावा परिवादी की ओर से कलेक्टर सिगरौली, पुलिस अधीक्षक सिगरौली, थाना प्रभारी बरगवा सिगरौली को की गई शिकायत आवेदन की प्रतिया एव स्वय के कथन व प्रस्तावित आरोपी देवेन्द्र पाडे के कथन पुलिस द्वारा अभिलिखित तथा देवेन्द्र पाडे सवाददाता द्वारा परिवादी को प्रेसित नोटिस एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब सीडी की प्रति पेश की गई है ।

परिवादी की ओर से देवेन्द जी उल्लेखित चेटिंग के दस्तावेज पेश किये गये है । जिसमें साराशत: इस आशय की चेटिंग उल्लेखित है कि परिवादी के द्वारा प्रसारण के लिये कहा गया और स्वयं तथा वकील के बयान की विडियो अभी तक नही दिये है । परिवादी की चेटिग पर देवेन्द जी उल्लेखित प्रोफाइल में चेटिंग की गई है कि, जिसमें सच्चाई नहीं है वो न्यूंज हम कभी भी प्रसारित नहीं कर सकते है और खबर मे सच्चाई न होने क कारण प्रसारित नही करने पर परिवादी द्वारा गलत आरोप लगाया जाना लेख है, फी मे न्यूज चले तो ये सभव नही है, ऐसी चेटिग भी की गई है । परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त वाट्सएप चेटिग के 19 पन्ने दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि देवेन्द जी उल्लेखित व्यक्ति ने खबर मे सच्चाई न होने और फी मे न्यूज चलाने से इकार किया है लेकिन चेटिंग के जरिये की गई वार्तालाप से कहीं से ऐसा उल्लेख नहीं है कि न्यायालय के पंजीबद्ध मामला कमाक 621/16 के सबंध में प्रतिकूल व मानहानिकारक टिप्पणी की गई हो । उसने तो खबर में सच्चाई न होना बताते हुये प्रसारण से इकार किया है । इस तरह उक्त पंजीबद्ध मामले के सबध मे प्रस्तावित आरोपी के द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी या न्यायालय के अवमान कारक तथ्य दर्शित नही होते हैं । प्रस्तुत चेटिग दस्तावेज में प्रस्तावित आरोपी व परिवादी के द्वारा परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाना आवश्य दर्शित होता है लेकिन न्यायालय के आदेश की अवमानना कारक कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है । जहां तक न्यूज 24 चैनल के आफिशियल वाट्सएप नबर को डिलीट किये जाने का प्रश्न है तो उक्त न्यूज 24 चैनल के द्वारा सआशय सपर्क बंद किया गया हो ऐसा दर्शित नहीं हो रहा है, परिवादी की ओर से प्रस्तुत इंटरनेट दस्तावेजो से